



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2019/श्रावण 3, 1941
No. 426]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2019/SHRAVANA 3, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 526(अ).—राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (प्राधिकरण के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2019 के संबंध में दिनांक 16 मई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में कॉलम (14) के अधीन अनुसूची के पृष्ठ 92 में सा.का.नि. 369(अ) में प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयुसीमा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

वर्तमान प्रविष्टि हेतु	पढ़ा जाएगा
पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं	छप्पन वर्ष से अधिक नहीं

[फ. सं. एनएफआरए-01/1/2019-प्रतिस्पर्धा-एमसीए]
के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2019

G.S.R. 526(E).—In the Notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II-Section 3-Sub-section (i) Gazette of India dated 16th May, 2019 in respect of National Financial Reporting Authority (Recruitment, Salary, Allowances and

other Terms and Conditions of Service of Secretary, Officers and other Employees of Authority) Rules, 2019, G.S.R. 369(E) at p.92 in the Schedule, under column (14), the maximum age limit for appointment by deputation is rectified as under:

For existing entry	Read as
Not exceeding sixty five years	Not exceeding fifty six years

[F.No. NFRA-01/1/2019-Comp-MCA]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.